संख्या-38/2025/I/847229/2025/23-11099(099)/91/2023

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 09-01-2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न जनपदों के रेल उपरिगामी सेतुओं के 09 चालू कार्यो की लैप्स धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि के पुन: आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-I/85999/2024/pwd-SE310GEN/2/2024-SE31, दिनांक 04-12-2024 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-175/2023/1074ई/23-11-2023/001-1/2(74)/2018टीसी, दिनांक 07-06-2023 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतु योजनान्तर्गत स्वीकृत अधोलिखित तालिका में उल्लिखित विभिन्न जनपद के कुल 09 चालू कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त की गयी धनराशि, जो कोषागार से समयान्तर्गत आहरित न हो पाने के कारण लैप्स हो गयी है, के सापेक्ष अवशेष 20 प्रतिशत अर्थात कुल धनराशि रू0 919.92 लाख (रूपये नौ करोड़ उन्नीस लाख बानबे हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुन: अवमुक्त किए जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य की स्वीकृत लागत	वर्ष 2022-23 में लैप्स धनराशि का विवरण		लैप्स धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवशेष लैप्स धनराशि का वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुन: आवंटन की फांट		
			धनराशि स्वीकृति का शा0सं0 व दि0	अवमुक्त/कुल लैप्स धनराशि		अनु0-57	अनु0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जनपद कानपुर नगर में लखनऊ-कानपुर रे0से0 के कि0मी0 69.82 पर स्थित (रे0स0सं0-43 स्पेशल जयपुरिया के निकट) 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	5995.57	128/2023/701ई/23-11-2023/015-1-2-74-2018 टीसी दिनांक 29-03-2023	603.48	482.78	95.10	25.60	120.70
2	जनपद गौतमबुद्ध नगर में डी0एफ0सी0सी0 रूट के उ0म0रे0 के अन्तर्गत गाजियाबाद-टूण्डला रेल सेक्शन के कि0मी0 1395/13-15 के सम्पार सं0-138 पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	6051.40		159.67	127.74	25.16	6.77	31.93
3	जनपद गौतमबुद्ध नगर में उ0म0रे0 के अन्तर्गत गाजियाबाद-टूण्डला रेल सेक्शन के कि0मी0 1412/11-13 के सम्पार सं0-146 पर चार लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	19458.45		1751.45	1401.16	275.99	74.30	350.29
4	जनपद चन्दौली में डी0एफ0सी0सी0 (पूर्व मध्य रेलवे) के मुगलसराय-गया सेक्शन मार्ग पर रेल सम्पार सं0-74सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	3663.05		223.28	178.62	35.19	9.47	44.66
5	जनपद चन्दौली में कर्मनाशा-सैयदराजा रेल सेक्शन के कि0मी0 645/7-9 के सम्पार	3818.79		346.88	277.50	54.66	14.72	69.38

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	संख्या-71सी पर दो लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।							
6	जनपद चन्दौली में पू0म0रे0 के अन्तर्गत कर्मनाशा- सैयदराजा रेल सेक्शन के कि0मी0 653/19-21 के सम्पार सं0-75सी पर दो लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	6075.16		418.91	335.13	66.01	17.77	83.78
7	जनपद चन्दौली में (डी0एफ0सी0सी0) पू0म0रे0 के मुगलसराय-गया रेल सेक्शन मार्ग पर रेल सम्पार संख्या-78सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	3577.13		351.33	281.06	55.37	14.90	70.27
8	जनपद फैजाबाद में उत्तर रेलवे के रूदौली यार्ड में जफराबाद-लखनऊ सेक्शन के कि0मी0 1006/3-4 भेलसर-रूदौली मार्ग पर सम्पार सं0-143सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	4413.16	118/2023/ 616ई/ 23-11-2023/013 -1-2-74-2018 टीसी दिनांक 25-03-2023	174.54	139.63	27.51	7.40	34.91
9	जनपद कानपुर देहात में उत्तर मध्य रेलवे के झांसी-कानपुर रेल खण्ड के कि0मी0-1285/8-9 पर रेल सम्पार सं0-202ए (पुखरायों रेलवे स्टेशन के निकट) पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	5738.32		570.00	456.00	89.82	24.18	114.00
	योग:-			**4599.54**	**3679.62**	**724.81**	**195.11**	**919.92**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) भविष्य में चालू कार्यों पर आवंटित धनराशि का समय से उपभोग सुनिश्चित किया जाय और कोई भी धनराशि लैप्स न होने पाये।

(3) प्रदेश के कोषागारों में लागू चेक प्रणाली से भुगतान की पद्धति के सम्बन्ध में वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-ए-1-1638/दस-99-10(28)/72, दिनांक 25.06.1999 एवं शासनादेश सं0-ए-1-1063/दस-87-10(28)/72, दिनांक 17.06.1989 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित किया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समय-सीमा अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल/पुनरीक्षित शासनादेशो की शर्तो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के आन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/ दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरश: अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) प्रश्नगत कार्यो हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष धनराशि लैप्स हो जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग तथा लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-2, लखनऊ के सम्बन्धित दोषी अभियन्ताओं/अधिकारियों/कर्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आख्या शासन को उपलब्ध करायें।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रू0 7,24,81,000 (रूपये सात करोड़ चौबीस लाख इक्यासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010516 रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रू0 1,95,11,000 (रूपये एक करोड़ पन्चानबे लाख ग्यारह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891500 रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओ का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
11- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
15- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
16- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
17- गार्ड फाइल।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in